अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

06 15.12.2023	**न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, राँची** सी0 सी0 ए0 वाद सं0 125/2023 राज्य बनाम जुबैर आलम उर्फ सद्दाम अंसारी पिता इश्हाक अंसारी उर्फ कोचन मियाँ निवासी हाई स्कूल मोहल्ला नगड़ी, थाना नगड़ी जिला राँची (झारखण्ड) .... विपक्षी आदेश वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 1414/डी०सी०बी० दिनांक 20.10.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी जुबैर आलम उर्फ सद्दाम अंसारी पिता इश्हाक असारी उर्फ कोचन मियाँ निवासी हाई स्कूल मोहल्ला नगड़ी, थाना नगड़ी जिला राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1)(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जो निम्नांकित हैः– 1. नगड़ी थाना कांड सं०– 15/2023 दिनाक 17.01.2023 धारा 406/420/506/34 भा०द०वि० 2. नगड़ी थाना कांड सं०– 108/23, दिनाक 28.06.2023 धारा 379/411 भा०द०वि० एवं 4/21 Mines and Minerals (Development & Regulation) Act 1957, 4/54 JMMC Rules, 9/11 Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining) Transportation and Storage, Rule 2017. 3. नगड़ी थाना कांड सं0 44/20, दिनाक 06.12.2021 धारा	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

147 / 149 / 341 / 323 / 325 / 504 / 506 भा०द०वि० एवं 3(1)(iv)(v)(x)(xi) of the SC and ST Prevention of Atrocities Act.

4. नगड़ी थाना सन्हा सं0–05 / 23, दिनांक 08.08.2023
5. नगड़ी थाना सन्हा सं0–22 / 23, दिनांक 09.08.2023
6. नगड़ी थाना सन्हा सं0–05 / 23, दिनांक 11.08.2023
7. नगड़ी थाना सन्हा सं0–23 / 23, दिनांक 13.08.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि पुलिस उपाधीक्षक मु०, (द्वितीय), राँची के कार्यालय का ज्ञापांक–1391 / 2023, दिनांक–19.10.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि जुबैर आलम उर्फ सद्दाम अंसारी पिता इशहाक अंसारी उर्फ कोचन मियाँ निवासी हाई स्कूल मोहल्ला नगड़ी, थाना नगड़ी जिला राँची, एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है। वर्तमान समय में नगड़ी थाना क्षेत्र में सक्रिय है। उक्त कुख्यात अपराधकर्मी द्वारा वर्तमान समय में स्वयं तथा अपने गुर्गे के माध्यम से नगड़ी थानान्तर्गत आम जनता से जमीन संबंधी मामले के निष्पादन हेतु रंगदारी की मांग की जा रही है। नगड़ी थाना के आम लोग सक्रिय एव कुख्यात अपराधी जुबैर आलम उर्फ सद्दाम अंसारी के नाम से भयाक्रान्त है तथा आम जनता गुप्त रुप से रंगदारी की राशि देने के लिए विवश होते हैं, परन्तु प्रत्यक्ष रुप से बोलने की हिम्मत अथवा प्राथमिकी दर्ज कराने की हिम्मत नही कर पाते है। विपक्षी अपने आवासन को काफी गोपनीय तरीके से रखता है तथा अपने ठिकाने में स्थानीय परिवर्तन करता रहता है। उनके कार्यों से लोक प्रशान्ति प्रभावित हो रही है तथा भविष्य में आम जन जीवन के भी प्रभावित होने की संभावना है। विपक्षी घोर असमाजिक व्यक्ति है, जिसका नगड़ी थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों एवं कार्यों के कारण आम जनता विशेष कर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियो को सम्पति का भय, खतरा एवं हानि पहुँच रही है तथा भविष्य में लोक सम्पति को हानि पहुँच सकती है। इसकी गतिविधि संदिग्ध है, जिसके कारण लोक व्यवस्था

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

अशांत होने की संभावना बनी रहती है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a) (b)(i)(ii) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3 मे जिस व्यक्ति को इस धारा के अन्तर्गत आदेश दिया जाना प्रस्तावित है, उन्हे उनके खिलाफ लगाये गये आरोपो के संबंध मे स्पष्टीकरण देने का उचित अवसर प्रदान किये जाने का प्रावधान है, परन्तु अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी को जारी नोटिस का तामिला वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के कार्यालय से अप्राप्त है।

अतः नोटिस के तामिला के अभाव मे प्रस्तुत वाद की कार्रवाई संधारणीय नही है अतएव इस वाद की कार्रवाई बिना किसी प्रतिकूल आदेश के समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजे। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति जुबैर आलम उर्फ सद्दाम अंसारी पिता इश्हाक असारी उर्फ कोचन मियाँ निवासी हाई स्कूल मोहल्ला नगड़ी, थाना नगड़ी जिला राँची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
राँची

जिला दण्डाधिकारी
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.12.30 02:11:59 -08:00
Location: 192.168.1.4